

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पारूल प्रिया पति-रामानन्द भारती ग्राम-ब्रह्मस्थानी गली निकट देवी मंदिर, पो०-बी०भी०कालेज, थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना केसफाइलनं०-सीएन/02099	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रूपया का क्रास चेक सं०...836207...
..मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1673 (14)

पटना, दिनांक -02-12-16

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.11.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मिथलेश यादव पिता-बैजनाथ यादव ग्राम-बालाबीगहा पोस्ट-कसवा, थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद सीभीनं०-30705/2015	हृदय रोग	₹ 95,000/- (पनचानवे हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 95,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 95,000/- (पनचानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836206..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

30/11/16
11/2/16

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836206 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1672 (14)

पटना, दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डा. आजाद हिन्द प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14 / एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० जुनैद हसन खान पिता-स्व. सईद हसन खान ग्राम-बागमली पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836205 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर, ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836905 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/

ज्ञापांक - 1691 (14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वा० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. विन्हा

सं० सं० 14/एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गीता देवी पति-शंभु नाथ पाण्डेय ग्राम-कुच्चागली पो०-थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद एमआरडीनं०-695442/16	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
2	सीमा देवी पिता-नरेन्द्र राम ग्राम-बरवत लच्छु पो०-बरवत सेना थाना-नगर जिला-प० चम्पारण एमआरडीनं०-346998	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,70,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836204 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।

११/११/१६

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...836201...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1669 (14)

पटना दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा, मा. स.वि.स0/ श्री मदन मोहन तिवारी मा0 स0वि0स0 / सभी संबंधित मरीजों/आई.टी. मैनेजर , स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.12.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुनम कुमारी पिता-श्याम बिहारी साव ग्राम-धन्धर बीगहा पो०-सुरंगापुर थाना-जिला-जहानाबाद सीआरनं०-2016702890	हृदय रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो. शाहगीर अंसारी पिता-अब्दुल लेयाकत ग्राम-पो०-रक्सा थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-2014365985	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	राजु यादव पिता-स्व. रविन्द्र यादव ग्राम+पो०-महुअर थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर सीआरनं०-2016573381	ब्रेन ट्युमर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	विश्वनाथ राय पिता-खलधारी राय ग्राम+पो०-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली रजि नं०-2016431596 21/11/16	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

5	परशुराम कुमार पिता-राम स्वरूप मंडल ग्राम-फरदा पूर्वी टोला पो0-फरदा,थाना-नया रामनगर जिला-मुंगेर सीआरन0-2015032666	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	संध्या कुमारी पिता-जोखन सिंह ग्राम-मकराईन पो0-डालमीयानगर थाना-डीहरी जिला-रोहतास सीआरन0-2016807247	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	सुरेन्द्र मोहन मिश्र पिता-कमलेन्द्र मोहन मिश्र ग्राम-बेहटा, पोस्ट-कन्हौली थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा सीआरन0-2016714190	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
8	शोभा देवी पति-हरिश चन्द्र राय ग्राम-तुर्की खरारू टोले हथीयावर, पो0-तुर्की खरारू थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-2016721758	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
9	ललीता देवी पति-श्याम बिहारी राम ग्राम-दुधैला पोस्ट-सुन्दरगंज थाना-रिसियप जिला-औरंगाबाद सीआरन0-2016647688	कैंसर रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			कुल ₹ 10,65,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,65,000 /-(दस लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 836203 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

20/11/18
11/11/18

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...836203...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)


ज्ञापांक

-1666 (14)

पटना, दिनांक

-02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/श्री सोम प्रकाश मा0 पूर्व स0वि0स0/सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/12/16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
रूबन इमरजेंसी अस्पताल,
एस०पी०वर्मा रोड पटना 800001

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विजय किशोर राय पिता-बसंत राय ग्राम-रघुनाथपुर पो०-कनार हरिहरपुर थाना-खैरा जिला-सारण	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं०...836226... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1670 (14)

पटना, दिनांक 20-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जितेन्द्र कुमार राय मा० सं० वि० सं० मद्दौरा / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम खेलावन महतो पिता-स्व. बैजनाथ महतो ग्राम-उकौड़ा पो०-चोरवर थाना-पकरीबरांवा जिला-नवादा सीआरन०-167811/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	गोरे लाल सिंह पिता-राम बालक सिंह ग्राम-धनावा पोस्ट-थाना-रूपौ जिला-नवादा सीआरन०-37443/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	उर्मिला देवी पति-राम इकबाल राय ग्राम-दीग्धी कलापूर्वी पोस्ट-दीग्धीकला थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली पंजी/ओ.पीडी/116606/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	पन्ना देवी पति-सीताशंकर यादव ग्राम-चौदपुर, पो०-जलालपुर थाना-जी०वी०नगर जिला-सीवान सी०आर०न०-165105/16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

21/11/16

5	अयोध्या राम पिता-दीन दयाल राम ग्राम-ढेबर, पो0-मछौता थाना-दरौंदा जिला-सीवान सीआरनं0-170220 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
6	शर्मिला देवी पति-श्याम नन्दन राय ग्राम-मुशहरी पो0+थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय सीआरनं0-105433 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।
7	रामप्रीत मंडल पिता-स्व. घुरन मंडल ग्राम-पो0-रैमा थाना-साहरघाट जिला-मधुबनी पंजी / ओ.पीडी / 119784 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।
8	पारस नाथ तिवारी पिता-लक्ष्मी तिवारी ग्राम-लेजा पो0-दोन थाना-दरौली जिला-सीवान पंजी / ओ0पी0डी / 112789 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।
9	मुकेश राय पिता-कौलेश्वर राय ग्राम-बोअरीया पो0+थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-51730 / 16	किडनी रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत ।
10	आशा देवी पति-जीतो मुखिया ग्राम-कोल्हड़ा पो0-जाखर थाना-रोसड़ा जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-174921 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
11	बेबी देवी पति-रविन्द्र कुमार सिंह ग्राम-मोर पुर्वी पो0-मोर थाना-मोकामा जिला-पटना सीआरनं0-150902 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।

श्री 11/12
11/12

12	बृज नन्दन प्रसाद पिता-स्व. रामजीत महतो ग्राम-पो0-मोचारीम थाना-बोधगया जिला-गया सीआरनं0-158228 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	सुधीर कुमार भैया पिता-भोला शर्मा ग्राम-राजाबीगहा पो0-सादीपुर थाना-मुफसिल जिला-नवादा सीआरनं0-167907 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	कांति देवी पति-शिवनाथ राम ग्राम-फतेहपुर पकरी पो0-पीरोई थाना-महुआ जिला-वैशाली पंजी / ओ0पीडी / 018242 / 16	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
15	हरि महतो पिता-देव नन्दन महतो ग्राम-समसपुरा पो0-मिल्की चकबाजे थाना-तिसियौता जिला वैशाली पंजी / ओ0पीडी0 / 007832 / 16	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
16	प्रमोद कुमार पिता-बद्री सिंह ग्राम-बल्या पोस्ट-भनैल थाना-अकबरपुर जिला-नवादा सीआरनं0-148351 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	राम वकशीष ठाकुर पिता-स्व. राजदेव ठाकुर ग्राम-हनुमान नगर पो0-पकटोला थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी पंजी / ओ.पीडी0 / 073616 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
18	मो. खुर्शीद आलम पिता-फकीर अहमद ग्राम-गोगरा पोस्ट-गैरकी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया सीआरनं0-157642 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

20/10/2014

19	संध्या देवी पति-विशनाथ साह ग्राम-ठकुरीचक पो0-गढहारा, थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय सीआरनं0-155603 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
20	सुमित्रा देवी पति-मुनेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम-पो0-कुण्डा थाना-जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-150057 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
21	महेन्द्र पाल पिता-स्व. फेंकन पाल ग्राम-सखुआना पो0-दुल्लमचक थाना-सहार जिला-भोजपुर आरा सीआरनं0-163506 / 16	ब्रेन सर्जरी	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,65,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,65,000/- (ग्यारह लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 8.3.6.2.2.2 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0 /

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836202 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1665 (M)

पटना, दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द कुमार राय, मा0 स.वि0स0 / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.12.16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	किरण देवी पति-अनिल कुमार ग्राम-बहरामपुर पो०-नैपुर थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	शंभु कुमार पिता-स्व. मेघनाथ यादव ग्राम-डेढधारा पो०-पेसौर, थाना-रहुई जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	शहनाज खातुन पति-मो० रहीम अंसारी ग्राम-पो०-डबुर थाना-कोंच जिला गया	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 826201..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

21/11/16
11/2/16

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...836201...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1667 (14)

पटना, दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.12.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक

फोर्ड हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०

रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुखदेव मेहता पिता-खुशी लाल मेहता ग्राम-पीठौरा-03 पो०-पीठौरा थाना-नरपतगंज जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	ललीता देवी पति-अनिल यादव ग्राम-दीराचौदपुर पो०-चौदपुर थाना-फलका जिला-कटिहार	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
3	मो. अख्तर जमा पिता-मो जमालउद्दीन ग्राम-पो०-एकवारी थाना-सहार जिला-भोजपुर	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	उत्पल कुमार पिता-रवि शंकर सिंह ग्राम-महम्मदपुर पो०-कोठीया थाना-दीदारगंज जिला-पटना	बोन सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	अनिल कुमार राम पिता-मदन राम ग्राम-बेहट उत्तरी पो०-बेहट थाना-लखनौर जिला-मधुबनी	घुटना रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

21/11/16
11/2/16

6	बालेश्वर प्रसाद सिंह पिता-स्व. विशुनधारी सिंह ग्राम-सैदपुर पो0-खुशहालपुर थाना-तेल्हारा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	शोभा देवी पति-अजीत कुमार ग्राम-माधोपुर कपुर पो0-चन्द्रहट्टी थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर	ब्रेन सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	जगन मुखिया पिता-बुझावन मुखिया ग्राम-टीकाहा बनकट पो0-बड़का गांव थाना-पकड़ी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	गुलाब राय पिता-दिलचन्द महतो ग्राम-बकौर पो0-बड़ी पैठाना थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,58,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,58,000 /-(नौ लाख अनठावन हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 836222.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।



विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....836200.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1663 (14)

पटना, दिनांक - 02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
27.12.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.11.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आरती कुमारी पिता-छेदी साहु ग्राम-पो०-महीनाम थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	गीता देवी पति-रामदेव प्रसाद ग्राम-तेलीया बीगहा पो०-ओप थाना-औंगारी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	वरदान पिता-मिलिन्द कुमार सिंह ग्राम-मोहनपुर पो०+थाना-धरहरा जिला-मुंगेर	कोकलीयर इम्प्लांट रोग	₹ 5,00,000/- (पांच लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836223 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110002528 खाता धारक का नाम-'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

21/11/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....836223 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1668 (14)

पटना, दिनांक

-02-12-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)